

पत्र क्रमांक 377/स्था./पो.मै.छा./2025

डौण्डी लोहारा, दिनांक 08/08/2025

**// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना //**

सत्र 2025-26 में प्रवेशित महाविद्यालय के समस्त नियमित छात्र-छात्राओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) वितरण की पात्रता है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 में भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in> वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की जा चुकी है। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि निम्नानुसार है:-

आवेदन का प्रकार	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन आवेदन की हार्डकापी जमा करने की अंतिम तिथि
नवीनीकरण	31.08.2025 तक	02.09.2025 तक
	30.11.2025 तक	02.12.2025 तक
नवीन	31.08.2025 तक	02.09.2025 तक
	30.09.2025 तक	03.10.2025 तक
	30.11.2025 तक	02.12.2025 तक

**टीप:-** PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत बैंक खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

02. सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR (One Time Registration) की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। इसके लिए NSP के पोर्टल लिंक <https://scholarships.gov.in/> या <https://scholarships.gov.in/otrapplication/#/registration-page> पर click कर रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त OTR नंबर को छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन Submit करने के पूर्व OTR नं. की प्रविष्टि करना अनिवार्य है। इसके बिना आपका आवेदन Submit नहीं होगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

  
(मयंक कुमार मंडावी)  
छात्रवृत्ति प्रभारी

  
(डॉ. रोशन आरा)  
Principal  
Govt. प्राचार्य College  
Dondi Lohara, Distt. Balod (C.G.)

पत्र क्रमांक 377/पो.मै.छा./2025

डौण्डी लोहारा, दिनांक 08/08/2025

// पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सूचना सत्र 2025-26 //

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के समस्त नियमित छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पोर्टल <https://postmatric.scholarship.cg.nic.in> पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करने ऑनलाईन फॉर्म भरने की तिथि निम्नानुसार है:-


आवेदन का प्रकार	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन आवेदन की हार्डकापी जमा करने की अंतिम तिथि
नवीनीकरण	31.08.2025 तक	02.09.2025 तक
	30.11.2025 तक	02.12.2025 तक
नवीन	31.08.2025 तक	02.09.2025 तक
	30.09.2025 तक	03.10.2025 तक
	30.11.2025 तक	02.12.2025 तक

ऑनलाईन आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित स्वयं सत्यापित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न कर इस क्रम में लगावें:-

1. ऑनलाईन आवेदन फार्म की हार्डकॉपी।
2. 10वीं अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
3. 12वीं अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
4. सत्र 2024-25 में उत्तीर्ण परीक्षा अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
5. निवास प्रमाण पत्र एवं स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (ऑनलाईन डिजिटल प्रमाण-पत्र उच्च अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
6. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
7. सत्र 2025-26 में प्रवेशित रसीद की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
8. महाविद्यालय का परिचय पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
9. आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
10. बैंक पासबुक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (बैंक खाता आधार से सीडिंग एवं बैंक खाता स्वयं का होना अनिवार्य है)।
11. छात्रावास में निवास करने का प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (ओरिजनल) (ST/SC ONLY)
12. छात्र-छात्राओं को एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
13. फोटो 01 नग (ऑनलाईन आवेदन की हार्डकॉपी में चस्पा करें।)

टीप:-

- जो छात्र/छात्राएं श्रम कार्ड के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये हैं वे इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें। अन्यथा सभी प्रकार की छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा।

  
(मयंक कुमार मंडावी)  
छात्रवृत्ति प्रभारी

  
(डॉ. रोशन आरा)  
Principal  
Govt. Ex. Collage  
Doodh Lohara, Distt. Balod (C.G.)

# कार्यालय कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा बालोद (छ.ग.)

फैक्स नं. 07749-223915, ई-मेल—actwd.balod@gmail.com

क्र/ 553 /आ.वि/ऑ.ला.पो.मे.छा./2025

बालोद दिनांक 11/08/2025

--: सूचना प्रकाशन :-

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ के शासकीय शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कालेज आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in> वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनकरण	31 गई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं Draft Proposal अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे। इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार रहेंगे।


1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1.00 लाख प्रतिवर्ष। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र। विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2024-25 में अनु.जानजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR(One time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

4. वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric authentication किया जाना अनिवार्य है।

  
सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास बालोद